[भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी, 2018

सं. 14 /2018 - सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. (अ), सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 5 की उप धारा (I) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, सीमा-शुल्क टैरिफ (भारत गणराज्य और जापान के बीच विस्तृत आर्थिक साझेदारी करार के अंतर्गत माल के उद्गम का निर्धारण) नियमावली, 2011 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :-

(1) इन नियमों को सीमा-शुल्क टैरिफ (भारत गणराज्य और जापान के बीच विस्तृत आर्थिक साझेदारी करार के अंतर्गत माल के उद्गम का निर्धारण) संशोधन नियमावली, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये नियम 1 मार्च, 2018 से लागू होंगे।

2. सीमा-शुल्क टैरिफ (भारत गणराज्य और जापान के बीच विस्तृत आर्थिक साझेदारी करार के अंतर्गत माल के उद्गम का निर्धारण) नियमावली, 2011 में, अनुबंध-2 का परिशिष्ट-क में, खण्ड 3 के उप-खण्ड (ख) में ''नौ माह'' शब्दों के स्थान पर ''बारह माह'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 20000/3/2012-ओएसडी (आईसीडी)

(डॉ. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान नियमावली को अधिसूचना सं. 55/2011-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 1 अगस्त, 2011, सा.का.नि. 594 (अ), दिनांक 1 अगस्त, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था।